झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2014-16 के इंटरमीडिएट पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 35/2015

एतद् द्वारा सत्र 2014-16 के इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पंजीकृत होने वाले सभी नियमित छात्र/छात्राओं, अंगीभूत,सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय, प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय, राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालयों, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 2014-16 सत्र के लिये स्थापना अनुज्ञा(अनुमति)प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा इंटरमीडिएट के छात्र/छात्राओं का पंजीयन OMR Sheet द्वारा कराया जाना है। इस हेतु OMR Sheet ग्यारहवीं परीक्षा के लिए दिए गए मांग पत्र के आधार पर संथाल परगना प्रमण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में, पलामू प्रमण्डल का प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में एवं शेष प्रमण्डलों को परिषद् कार्यालय राँची से दिनांक 13.07.2015 से प्राप्त किया जा सकेगा। **प्रत्येक OMR Sheet शुल्क (सूचीकरण प्रपत्र शुल्क) ₹70/- निर्धारित है, ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय से शुल्क जमा कर वांछित संख्या में परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लें।**

विहित शुल्क के साथ भरा हुआ पंजीयन आवेदन पत्र संथाल परगना प्रमण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में, पलामू प्रमण्डल का प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में एवं शेष प्रमण्डलों को परिषद् कार्यालय राँची में जमा करने की निर्धारित तिथि निम्न प्रकार से है–

प्रमण्डल का नाम	विलम्ब शुल्क रहित	विलम्ब शुल्क सहित
दक्षिणी छोटानागपुर	10.08.2015	24.08.2015
उत्तरी छोटानागपुर	11.08.2015	25.08.2015
पलामू प्रमण्डल	10.08.2015	24.08.2015
कोल्हान प्रमण्डल	12.08.2015	26.08.2015
संथाल परगना प्रमण्डल	10.08.2015	24.08.2015

शुल्क की राशि

1. सूचीकरण शुल्क - ₹175/-
2. आव्रजन शुल्क - ₹110/-
3. आव्रजन विलम्ब शुल्क- ₹200/-
4. सूचीकरण विलम्ब शुल्क - ₹250/-
5. अनुमति शुल्क- ₹500/- (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के लिए)
6. अनुमति विलम्ब शुल्क - ₹250/- (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के लिए)

उपर्युक्त कोटि के सभी महाविद्यालयों (स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों को छोड़कर) की नियमित छात्राओं के सूचीकरण शुल्क ₹175/- भुगतेय नहीं होगा, अन्य सभी शुल्क देय होंगे।

- ✻ सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "**झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फंड**" **राँची** के नाम से देय एवं राँची में भुगतेय, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए "**झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फंड**" **दुमका** के नाम से देय एवं दुमका में भुगतेय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए "**झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फंड**" **डाल्टेनगंज** के नाम से देय एवं डाल्टेनगंज में भुगतेय होगा।
- ✻ सभी छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि पंजीयन आवेदन पत्र में विषय का सही चयन पाठ्यक्रम के आलोक में करें, जो विषय आवेदन पत्र में अंकित रहेंगे वही विषय परीक्षा आवेदन पत्र में भी भरे जाएँगे। गलत विषयों का चयन किए जाने पर सारी जवाबदेही महाविद्यालय के छात्रों/प्राचार्यों की होगी।
- ✻ उपर्युक्त कोटि के महाविद्यालयों के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित छात्र संख्या से अधिक का नामांकन बिना परिषद् की अनुमति के नहीं किया जाना है। यदि निर्धारित सीटों की संख्या पूरी हो चुकी है, किन्तु उनमें से कुछ छात्र स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेकर बाहर चले गए हैं, तो उन रिक्त सीटों पर भी नामांकन के लिए परिषद् की अनुमति अनिवार्य है।
- ✻ जिन महाविद्यालयों को स्थापना अनुज्ञा(अनुमति) सत्र 2014-16 हेतु अनुमति पत्र परिषद् द्वारा प्राप्त है, वे ही पंजीयन प्रपत्र जमा करेंगे। साथ ही परिषद् द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति भी अवश्य संलग्न करेंगे।
- ✻ सभी महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि पंजीयन प्रपत्र अग्रसारित करते समय ध्यान देंगे कि जिन छात्र/छात्राओं का आव्रजन प्रमाण पत्र जमा करना है पंजीयन के साथ संलग्न किया गया है। अगर पंजीयन प्रपत्र में आव्रजन प्रमाण पत्र के बिना पंजीयन प्रपत्र अग्रसारित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में परिषद् द्वारा छात्र का पंजीयन प्रपत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।
- ✻ सभी कोटि के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क जो विज्ञप्ति में दी गई है, के अनुसार ही शुल्क की राशि परिषद् में जमा करेंगे।
- ✻ निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीयन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- ✻ प्राचार्यों, छात्रों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि OMR Sheet पर सूचनायें संधारित करने के पूर्व उसकी एक छायाप्रति कराकर पहले अभ्यास छात्र/छात्रा से करा लें ताकि त्रुटि की सम्भावना न हो क्योंकि अतिरिक्त OMR Sheet के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा जिसके लिए परिषद् जिम्मेवार नहीं होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (मोहन चांद मुकिम)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञप्ति/4290/10/SECY/218/15
Dt. 10.07.2015
D.O.P : 11.07.2015

8x23